न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./4339/2002/जैसलमेर
जीवनसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी हाबूर जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट

बनाम

1 दुर्गसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति राजपूत निवासी हाबूर(पूनमनगर) जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री विरेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री मनीष पांडया, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 20.11.18

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मु0 जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–3–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नंबर 292 रकबा 23 बीघा अपीलाण्ट जीवनसिंह को दिनांक 10–9–73 को आवंटित की गई थी । तभी से अपीलाण्ट इस पर काबिज काश्त चला आ रहा है । नये सेटलमेंट के दौरान अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता । जब कि पूर्व में विवादित आराजीयात

का कब्जा अपीलाण्ट के पिता भवंरसिंह पुत्र जेतमल के पास था । इन पुराने खसरा नंबर 292 के नये खसरा नंबर 2 बनाये गए । अपीलाण्ट के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के यहां प्रस्तुत किया गया जिसमें अंतिम पेशी दिनांक 25–7–02 थी तथा आगामी पेशी दिनांक 25–7–02 नियत की गई । इस प्रार्थना–पत्र के विचाराधीन रहते रेस्पोडेण्ट नंबर 1 दुर्गसिंह के द्वारा एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर, जैसलमेर के यहां बाबत घोषणा, का प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 212 रकबा 52 बीघा पर दुर्गसिंह का कब्जा था किन्तु सहवन से यह विवादित आराजीयात सिवाय चक दर्ज कर दी गई । इनके नये नंबर खसरा नंबर 2/1360 रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा खसरा नंबर 4 रकबा 21 बीघा19 बिस्वा कुल 52 बीघा बनाये गए । अतः उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यह दावा दिनांक 26–8–2000 को खारिज किया गया । उक्त निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेण्ट दुर्गसिंह द्वारा एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मु0 जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 30–3–2002 को स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट दुर्गसिंह को खसरा नंबर 1 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2 में 33 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार कातश्कार घोषित किया गया ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–3–2002 के विरूद्व यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र लम्बित था एवं उसे पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोडेण्ट को खातेदार घोषित किया गया जबकि अपीलाण्ट जीवनसिंह इसमें एक आवश्यक पक्षकार था । सहायक कलेक्टर के द्वारा सही रूप से दावे को खारिज किया गया था किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा रेस्पोडेण्ट की अपील को गलत रूप से स्वीकार कर उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया है । राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को निरस्त करते हुए सहायक कलेक्टर के निर्णय को यथावत रखे जाने के आदेश दिए जावें।

सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 26–8–2000 में यह माना है कि एकमात्र तनकी को प्रमाणित करने का जिम्मा वादी का है एवं वादी दुर्गसिंह ने अपने बयान में कथन करता है कि यह जमीन पुरानी पुश्तैनी है लेकिन खाते में नहीं आने से आवंटन कमेटी के समक्ष फार्म भरा तब 52 बीधा भूमि समरी खसरा नंबर 212 ग्राम हाबूर में आवंटन हुई पहले गॉवो की सरहदें एक साथ थी और सेटलमेंट के बाद आवंटित जमीन ग्राम पुछडी की सीमा में आ गई जिसके खसरा नंबर 1 व 1360 है ।इस जमीन की हद में उत्तर में मगर, दक्षिण में जंझो का खडीन, पूर्व में नादी पातलाई एवं पश्चिम में डूंगरी व तिडके की डेयरी है। आवंटन वर्ष 1971 में किया और उस समयपटवारी हल्का ने कब्जा दिया तब से उसी जगह पर काश्त करता आ रहा है । इसके अतिरिक्त वादी स्वयं वाद पत्र के पेरा 4 में अभिकथन करता है कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 320 दिनांक 15–8–88 के द्वारा जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 में ग्राम पूछडी के खसरा नंबर 2/1360 व खसरा नंबर 4 में कुल 52 बीघा भूमि का इन्द्राज कियागया । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमबान्दी संवत 2043 से 2046 में उक्त भूमि वादी की गैर खातेदारी में दर्ज है । उपरोक्त स्थिति से प्रमाणित होता है कि वादी का ग्राम पूछडी कें खसरा नंबर 1 व2 की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा काश्त उनके द्वारा आवंटित भूमि हाबूर जिसका उसके नाम नामान्तरकरण संख्या 320 का इन्द्राज चला आ रहा है ।। इसके अलावा वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नायब तहसीलदार रामगढ के पत्र दिनांक 27–6–90 की छाया प्रति के अनुसार नायब तहसीलदार के द्वारा वादी आवंटित भूमि के सबंध में जांच के उपरांत यह प्रतिवेदित कियागया कि उसे आवंटित भूमि मौके पर नाकाबिल काश्त है एवं मगरा है इससे यह पाया जाता है कि वादी उसे आवंटित भूमि मौके पर नाकाबिल काश्त होने से इसका एक्सचेंज वह ग्राम पूछडी के खसरा नंबर 1 व 2 में उसके अनाधिकृत कब्जे काश्त की भूमि से करवाना चाहता है जिसका 88, 92–क एवं 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान नहीं है इस प्रकार के एक्सचेंज के लिए राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 24एएए मे प्रावधान है जिसके तहत कार्यवाही करने वादी स्वतंत्र है इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार वादी का वाद एकमात्र बिन्दु उसके पक्ष में प्रमाणित करने

में असफल रहा है । अतः वादी का वाद अस्वीकार कियाजाकर निरसत किया जाता है ।

उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, के यहां किए जाने पर उन्होंने अपने आदेश में आदेशित किया है कि नायब तहसीलदार, रामगढ की मोका जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है थ्क आवंटनशुदा मौके पर मगरा है काबिल काश्त नहीं है तथा आज दिनांक तक प्रार्थी का खसरा नंबर 1 व 2 पर कब्जा है खसरा नंबर 1 रेकार्ड में मगरा दर्ज छै जबकि मौके पर उक्त भूमि काबिज काश्त हे । पटवारी हाबूर द्वारा मौका नोट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 2/1360 व 4 काबिल काश्त न हीं है आवंटन भूम में पथर व तालर है । प्रार्थी का उक्त भूमि से ल गता खसरा नंबर 1 व 2 पर कब्जा है अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी खसरा परिवर्तनशील व गिरदावरी से भी अपीलाण्ट का खसरा नंबर 1 व 2 पर कब्जा काश्त साबित होता है इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर खसरा नंबर 1 व 2 ही अपीलाण्ट को आवंट्ति भूमि है तथा उसका कब्जा काश्त निरंतर है । जिससे अपीलाण्ट को ग्राम पूछडी के खसरानंबर 1 में से 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 2 में 33 बीघा 5 बिस्वा कुल 52 बीघा का खातेदार घोषितकिया जाता है तथा अपीलाण्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हाबूर के खसरा नंबर 2/1360 में रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 4 में 21 बीघा 19 बिस्वा भूमि को सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं खसरा नंबर 1 व 2 की भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा व बंजड के स्थान पर बारानी दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं खसरा नंबर 1 व 2 के सबंध में बकाया लगान अदा किए जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. दौराने अपील विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट जीवनसिंह के द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके साथ उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर की आदेशिका दिनांक 8–1–2001 से 25–7–2002

तक आदेश नियत है एवं इसमें आगामी पेशी दिनांक 6–8–2002 नियत है

2. अपीलण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम क प्रति

3 प्रार्थना–पत्र दिनांक 20–12–2001 जो नियमन के संबंध में प्रस्तुत किया गया

4 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 9–5–2002

5 आवंटन हेतु प्रार्थना–प्त्र दिनांक 30–7–73 का आवंटन

6. नक्शा ट्रेस

7.न्यायालय जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 5–5–87 की प्रति

8. मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 17–10–95

9. मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 21–12–2001

10 तहसीलदार को पटवारी द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक 22–12–2001

11 खसरा परिवर्तनशील संवत 2036 से 2058

12 खसरा गिरदावरी संवत 2043 से 2054

13 जमाबंदी संवत 2051 से 2054

ठन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि आदेश 41 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है वे सभी राजकीय दस्तावेज है इसलिए इन्हें रिकार्ड पर लिए जानेके आदेश दिए जावें। विवादित आराजीयात उन्हें पूर्व मेंआवंटित कीगई थी । भूमिका आवंटन कियागया था किन्तु सेटलमेंट के द्वारा राजकीय भूमि दर्ज कीगई । रेस्पोडेण्ट केद्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया उसमें उसे पक्षकार ही नहीं बनाया गया जब कि उनके द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–'पत्र पहले से ही विचाराधीन था । घोषणा का दावा पोषणीय ही नही है । उपखण्ड अधिकारी के द्वारा रेस्पोडेण्ट के दावे को सही खारिज किया गया था । सरकारी भूमि से विनिमय करवाया जा सकता है । काश्तकारों की भूमि से बिना सहमति के विनिमय नहीं किया जा सकता है । राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा जो खातेदारी दी गई है वह गलत है । चूंकि अपीलाण्ट को बिना सुने आदेश जारी किया गया है रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दावे में उसे

पक्षकार ही नहीं बनाया गया जिससे प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को निरस्त करने के आदेश दिए जावें ।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने तर्क दिया कि भवरंसिंह को कोई आवंटन ही नहीं हुआ है बल्कि भूमि का आवंटन दुर्गसिंह को किया गया है उनको अपील का कोई अधिकार ही नहीं है । उपखण्ड अधिकारी को विनिमय का अधिकार है ऐसी स्थिति में उनकी अपील को खारिज किया जावे ।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

8. सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना–पत्र पर हम आदेश दिया जाना उचित समझते हैं । अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तोवज राजकीय दस्तावेज है एवं प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जिन्हें रिकार्ड पर लिए जानेके आदेश दिए जाते हैं ।

9. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जीवनसिंह के द्वारा दिनांक 8–11–2001 को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था आवंटन समिति के निर्णय अनुसार अपीलाण्ट के पूर्वज भंवरसिंह को खसरा नंबर 292 रकबा 52 बीघा ग्राम हाबुर के भूमि का आवंटन किया गया था । नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में भी यह अंकित किया है कि पूर्व में विवादित भूमि आराजीयात वर्ष 65–66 में भवंरसिंह पुत्र जेतमलसिंह को आवंट्ति कीगई खसरा परिवर्तनशील के अनुसार भी इस भूमि पर लम्बे समय तक भवंरसिंह पुत्र जेतमल का कब्जा काश्त रहा है । खसरा गिरदावरी में भी भंवरसिंह पुत्र जेतमल का कब्जा काश्त साबित होता है । रेस्पोडेण्ट दुर्गसिंह के द्वारा जो राजस्व दावा प्रस्तुत कियागया है वह वर्ष 1996 में प्रस्तुत किया गया था । धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र जो अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया वह वर्ष 2001 में ही प्रस्तुत किया गया था । दावे एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र

दोनों में केवल राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है जब कि दोनों ही पक्षकारों को राज्य सरकार के अलावा हितबद्ध खातेदार को ही पक्षकार बनाया जाना चाहिए था ।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी न्याय निर्णय पर पहूँचने के लिए सभी हितबद्ध काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । सभी पक्षकारों को सुनकर के ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए । जब अपीलाण्ट का धारा 136 का प्रार्थना–पत्र विचाराधीन था दूसरे हितबद्ध काश्तकार को पक्षकार ही नहीं बनाया गया । ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते हैं कि प्रकरणमें दोनों पक्षकारों को सुनकर के विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए । अतः अपीलाण्ट स्वीकार किए जाने योग्य है ।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मु0 जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–3–2002 निरस्त किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दोनो पक्षकारों को सुनकर के विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष